

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा ।

सेवा में

1. श्री मनबीर सिंह, लिपिक कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त, जीन्द ।
2. श्रीमति चेतना, रीडर कार्यालय अधिष्ठाता अधिकारी, श्रम न्यायालय, रोहतक ।
3. श्रीमति निर्मला, रीडर कार्यालय उप श्रम आयुक्त, पंचकुला ।
4. श्रीमति दीपशिखा, लिपिक, मुख्यालय ।

क्रमांक: स्था/02/2023/33751-54 दिनांक: 07/12/23

विषय:-

पदोन्नति उपरांत सहायक/रीडर के पद पर कार्यग्रहण करने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषय संबंध में कार्यालय आदेश 32301-526 दिनांक 20.11.2023 के माध्यम से आपको सहायक/रीडर के पद पर पदोन्नत किया गया था, परन्तु लगभग दो सप्ताह बीत जाने के पश्चात भी आप द्वारा पदोन्नत पदों पर कार्यग्रहण नहीं किया गया है।

अतः आपको कार्यग्रहण बारे अंतिम अवसर देते हुये निर्देश दिये जाते हैं कि आप पत्र प्राप्ती के सप्ताह के अन्दर-2 सहायक/रीडर के पद कार्यग्रहण करें, अन्यथा आपके विरुद्ध पदोन्नति न लेने के सम्बंध में मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की हिदायत दिनांक 02.11.1992 व हरियाणा सिविल सेवाएं (ए0सी0पी0) नियम, 2016 के नियम-14 में किये गये प्रावधान अनुसार कार्यवाही अमल में ला दी जायेगी।

9 सहायक श्रम आयुक्त (मु0)
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।